



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

सीबीएसई/आईटी और परियोजनाएं/एपीएआर आईडी/2025

दिनांक: 24.01.2025

सेवा में

सीबीएसई से संबद्ध विद्यालयों के
प्रधानाचार्य/संस्थानों के प्रमुख

विषय: सीबीएसई से संबद्ध विद्यालयों के छात्रों के लिए प्राथमिक पहचानकर्ता के रूप में एपीएआर आईडी का कार्यान्वयन।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 और 'डिजिटल इंडिया' के लिए माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप, शिक्षा मंत्रालय (एमओई) छात्रों के लिए स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री (एपीएआर) आईडी प्रणाली लागू कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य प्रत्येक छात्र के लिए एक सहज, आजीवन डिजिटल पहचान बनाना, अकादमिक रिकॉर्ड प्रबंधन में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता को बढ़ावा देना है।

एपीएआर आईडी क्या है?

एपीएआर आईडी एक अद्वितीय 12-अंकीय पहचानकर्ता है जिसे छात्रों के शैक्षणिक और पाठ्येतर रिकॉर्ड को एक सुरक्षित डिजिटल प्लेटफॉर्म में समेकित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। डिजिटल रिकॉर्ड को इकोसिस्टम के साथ एकीकृत, यह छात्रों को अपनी उपलब्धियों, परीक्षा परिणामों, सीखने के परिणामों और ओलंपियाड, खेल और कौशल प्रशिक्षण जैसी गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति देता है। यह प्रणाली "वन नेशन, वन स्टूडेंट आईडी" पहल का भी समर्थन करती है, जो छात्र की शैक्षिक यात्रा के दौरान निरंतरता और पहुंच सुनिश्चित करती है।

एपीएआर आईडी सिस्टम डेटा गोपनीयता सुनिश्चित करता है, जिसमें अधिकृत संस्थाओं के साथ साझा करते समय सभी संवेदनशील डेटा को छिपाया जाता है, सुरक्षा और गोपनीयता के उच्चतम मानकों का पालन किया जाता है।

प्रमुख उद्देश्य:

- छात्रों की शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक उपलब्धियों का एक एकीकृत रिकॉर्ड प्रदान करना।
- व्यक्तिगत शिक्षण और प्रभावी नीति नियोजन के लिए डेटा-संचालित निर्णय लेने को सक्षम बनाना
- अंतर-स्कूल स्थानान्तरण या राज्यों/जिलों में परिवर्तन के दौरान निर्बाध बदलाव का समर्थन करना।
- शैक्षिक प्रशासन में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए।



के. मा. शि. बो., एकीकृत कार्यालय परिसर, सेक्टर-23, फेज-1, द्वारका, नई दिल्ली-110077
CBSE Integrated Office Complex, Sector-23, Phase-1, Dwarka, New Delhi-110077

Phone (off.) : 011-24050336-42, Website: www.cbse.gov.in





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

एपीएआर आईडी के लाभ:

1. **एकीकृत ट्रेकिंग:** छात्रों की शैक्षिक यात्रा की व्यापक निगरानी की सुविधा प्रदान करता है, ड्रॉपआउट दर को कम करने और सीखने के परिणामों में सुधार करने में सहायता करता है।
2. **डिजिटल एकीकरण:** अकादमिक रिकॉर्ड और पाठ्यतर उपलब्धियों को संग्रहीत करने के लिए डिजिटलॉकर के साथ सीधे जुड़ा है।
3. **डेटा-संचालित अंतर्दृष्टि:** वास्तविक समय विश्लेषण और पूर्वानुमानित हस्तक्षेपों के लिए अकादमिक, उपस्थिति और प्रदर्शन डेटा को समेकित करता है।
4. **संक्रमण में आसानी:** विद्यालयों, जिलों या राज्यों में शैक्षणिक रिकॉर्ड के हस्तांतरण को सरल बनाता है।
5. **शिक्षा प्रणालियों को बढ़ाना:** विद्या समीक्षा केंद्र के साथ एपीएआर आईडी एकीकरण शैक्षिक परिणामों के विस्तृत विश्लेषण को सक्षम बनाता है।
6. **प्रवेश परीक्षा और प्रवेश सहायता:** जेईई, एनईईटी और सीयूईटी जैसी परीक्षाओं के लिए प्राथमिक पहचानकर्ता के रूप में कार्य करता है, जो छात्रों और संस्थानों के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाता है।

विद्यालयों के लिए एपीएआर आईडी कार्यान्वयन प्रक्रिया:

चरण 1: अभिभावक-शिक्षक बैठकें (पीटीएम) आयोजित करें: विद्यालयों को माता-पिता और छात्रों को इसके महत्व और लाभों के बारे में बताते हुए एपीएआर आईडी पेश करने के लिए पीटीएम की व्यवस्था करनी चाहिए।

चरण 2: सहमति प्रपत्र वितरण और संग्रह: विद्यालयों को माता-पिता को भौतिक सहमति प्रपत्र वितरित करना होगा, जिन्हें एपीएआर आईडी बनाने के लिए आधार विवरण के उपयोग को अधिकृत करने के लिए इन प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने और जमा करने की आवश्यकता होती है।

चरण 3: छात्र डेटा सत्यापन: स्कूल अधिकारियों को सटीकता के लिए UDISE+ पोर्टल पर छात्र विवरण (जैसे, नाम, जन्म तिथि, आधार संख्या) सत्यापित करना चाहिए।

चरण 4: एपीएआर आईडी जनरेशन: UDISE+ पोर्टल का उपयोग करके, स्कूल एपीएआर आईडी जनरेट करेंगे, जो छात्रों के डिजिटलॉकर खातों से सुरक्षित रूप से जुड़े होंगे। माता-पिता को पुष्टिकरण एसएमएस भेजा जाएगा।

चरण 5: वितरण और एकीकरण: स्कूल छात्रों और अभिभावकों को एपीएआर आईडी प्रदान करेंगे, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे स्कूल आईडी कार्ड पर शामिल हैं और स्कूल के आईटी सिस्टम में एकीकृत हैं।



के. मा. शि. बो., एकीकृत कार्यालय परिसर, सेक्टर-23, फेज-1, द्वारका, नई दिल्ली-110077
CBSE Integrated Office Complex, Sector-23, Phase-1, Dwarka, New Delhi-110077

Phone (off.): 011-24050336-42, Website: www.cbse.gov.in





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

चरण 6: त्रुटियों को संबोधित करना: यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, तो विद्यालयों को सुधार के लिए माता-पिता को कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) में मार्गदर्शन करना चाहिए।

विद्यालयों के लिए कार्रवाई योग्य बिंदु:

- कक्षा IX से XII को प्राथमिकता देने वाले सभी छात्रों के लिए एपीएआर आईडी बनाना सुनिश्चित करें।
- UDISE+ पोर्टल में सटीक डेटा प्रविष्टि सुनिश्चित करें।
- सटीकता के लिए आधार रिकॉर्ड के साथ छात्र डेटा का संरेखण बनाए रखें।
- एपीएआर आईडी एकीकरण का समर्थन करने के लिए स्कूल IT सिस्टम को नियमित रूप से अपडेट करें।
- एपीएआर आईडी उपयोग पर छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से प्रशंसापत्र और प्रतिक्रिया एकत्र करें।
- <https://एपीएआर.education.gov.in/resource> पर उपलब्ध सामग्री और वीडियो का उपयोग करके पीटीएम के दौरान जागरूकता सत्र आयोजित करना।

सहायता और हेल्पलाइन:

- व्यापक कार्यान्वयन टूलकिट, बहुभाषी संसाधन और दिशानिर्देश <https://एपीएआर.education.gov.in/resource> पर उपलब्ध हैं। स्कूल सहायता के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन 1800-889-3511 पर भी संपर्क कर सकते हैं।
- अधिक स्पष्टता के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न संलग्न हैं

सीबीएसई द्वारा एपीएआर आईडी निगरानी

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्ध विद्यालयों में एपीएआर आईडी सृजन की निगरानी के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली एपीएआर आईडी मॉनीटरिंग (एआईएम)" विकसित की है। विद्यालयों से अनुरोध है कि वे सीबीएसई की वेबसाइट पर उपलब्ध एआईएम पोर्टल पर नियमित रूप से जानकारी अपडेट करें।

एपीएआर आईडी का कार्यान्वयन एनईपी 2020 में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर दर्शाता है। स्कूलों से अपेक्षा की जाती है कि वे इस परिवर्तनकारी पहल में पूर्ण भागीदारी प्रदर्शित करें, जिससे सभी छात्रों के लिए एपीएआर आईडी की 100 प्रतिशत संतृप्ति सुनिश्चित होगी। यह कार्यक्रम एक पारदर्शी, कुशल और हितधारक-अनुकूल शैक्षिक इकोसिस्टम बनाने में "गेम-चेंजर" के रूप में काम करेगा। स्कूलों से अनुरोध है कि वे इस पहल को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

संलग्न एफएओ

ह-/

डॉ. अंतरिक्ष जौहरी

निदेशक (आईटी और परियोजनाएं)



के. मा. शि. बो., एकीकृत कार्यालय परिसर, सेक्टर-23, फेज-1, द्वारका, नई दिल्ली-110077
CBSE Integrated Office Complex, Sector-23, Phase-1, Dwarka, New Delhi-110077

Phone (off.) : 011-24050336-42, Website: www.cbse.gov.in





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

एपीएआर के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1) एपीएआर क्या है?

एपीएआर, जो स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री के लिए खड़ा है, भारत में सभी छात्रों के लिए डिज़ाइन की गई एक विशेष पहचान प्रणाली है। यह पहल सरकार द्वारा शुरू किए गए 'वन नेशन, वन स्टूडेंट आईडी' कार्यक्रम का हिस्सा है, जो 2020 की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप है।

2) छात्रों के पास एपीएआर ID क्यों होनी चाहिए?

एपीएआर आईडी - एक अद्वितीय 12-अंकीय कोड छात्रों को स्कोर कार्ड, मार्कशीट, ग्रेडशीट, डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र और सह-पाठ्यक्रम उपलब्धियों सहित अपने सभी शैक्षणिक क्रेडिट को डिजिटल रूप से संग्रहीत, प्रबंधित करने और एक्सेस करने में मदद करेगा। यह आईडी शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में छात्र के लिए एक स्थायी डिजिटल पहचान के रूप में कार्य करती है।

3) एपीएआर की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं?

- आजीवन शैक्षणिक पहचान: प्रत्येक छात्र को एक अद्वितीय 12 अंकों की आईडी मिलती है।
- केंद्रीकृत प्रणाली: एक ही स्थान पर अकादमिक रिकॉर्ड का प्रबंधन करता है।
- क्रेडिट ट्रांसफर: संस्थानों के बीच क्रेडिट के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है।
- आजीवन पहचान: छात्र के साथ उनके शैक्षिक और व्यावसायिक करियर के दौरान रहता है।
- इसके अतिरिक्त इसमें विशेषताएं हैं; छात्रों की उपलब्धियों को संरक्षित करना, क्रेडिट मान्यता को सुव्यवस्थित करना, शैक्षिक लचीलापन बढ़ाना और संस्थानों में क्रेडिट हस्तांतरण

4) कैसे एपीएआर उपयोगी है?

एपीएआर आईडी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (एबीसी) और डिजिटलॉकर, एक ऑनलाइन रिपॉजिटरी से जुड़ी हुई है, जहां छात्र परीक्षा परिणाम और शैक्षणिक क्रेडेंशियल्स और दस्तावेजों जैसे अपने आवश्यक दस्तावेजों तक सुरक्षित रूप से पहुंच सकते हैं। यह राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी के माध्यम से संस्थानों और पुरस्कार देने वाले निकायों से सीधे छात्रों के अकादमिक क्रेडिट प्राप्त करता है। इस प्रकार सत्य का एकल स्रोत होने के नाते, यह स्थानांतरण, प्रवेश परीक्षाओं, प्रवेश या नौकरी के आवेदन के लिए प्रमाणीकरण को सुव्यवस्थित करता है, जिससे अकादमिक रिकॉर्ड का सत्यापन सरल हो जाता है।

5) एपीएआर के क्या लाभ हैं?

एपीएआर छात्रों की प्रगति पर नज़र रखकर और शैक्षणिक रिकॉर्ड को सुव्यवस्थित करके शिक्षा में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। यह दक्षता बढ़ाता है, दोहराव को दूर करता है, धोखाधड़ी को कम करता है, और समग्र छात्र विकास के लिए सह-पाठ्यक्रम उपलब्धियां शामिल करता है। एकाधिक उपयोग के मामलों के साथ, एपीएआर निम्नलिखित की सुविधा प्रदान करता है;



के. मा. शि. बो., एकीकृत कार्यालय परिसर, सेक्टर-23, फेज-1, द्वारका, नई दिल्ली-110077
CBSE Integrated Office Complex, Sector-23, Phase-1, Dwarka, New Delhi-110077

Phone (off.) : 011-24050336-42, Website: www.cbse.gov.in





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

- छात्र गतिशीलता को सुगम बनाना
- शैक्षणिक लचीलापन बढ़ाएँ
- छात्रों को अपनी पसंद के सीखने के रास्ते चुनने के लिए सशक्त बनाएं
- सीखने की उपलब्धियों को स्वीकार करें और मान्य करें
- चूंकि एपीएएआर आईडी साझा करने के अलावा कोई अतिरिक्त प्रमाण पत्र प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है, जहां सभी क्रेडेंशियल्स संग्रहीत हैं, हार्ड कॉपी प्रमाण पत्र खोने का कोई डर नहीं है और इसलिए सभी प्रकार के उपयोग के मामलों जैसे कि एक स्कूल से दूसरे स्कूल में स्थानांतरण, प्रवेश परीक्षा, प्रवेश, नौकरी के आवेदन, कौशल, अपस्किलिंग आदि के लिए उपयोगी है।

6) एपीएएआर छात्रों को कैसे लाभ पहुंचाता है?

- एकीकृत शैक्षणिक पहचान: अकादमिक रिकॉर्ड को समेकित और प्रदर्शित करने के लिए एक एकल मंच
- छात्र आईडी प्रमाण: यह एक पहचान प्रमाण है, जिसके स्कूलों, राज्य सरकार के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों द्वारा परिकल्पित कई अन्य संभावित लाभ हो सकते हैं।
- निर्बाध शैक्षणिक गतिशीलता: शैक्षिक स्तरों के बीच सहज परिवर्तन की सुविधा प्रदान करना
- आजीवन शैक्षणिक पहचान: रोजगार के दौरान प्रारंभिक स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा और उससे आगे के कौशल को फिर से विकसित करने की सुविधा प्रदान करना
- छात्र जीवनचक्र निगरानी: छात्र आसानी से अपनी शैक्षणिक यात्रा की निगरानी कर सकते हैं, जिससे व्यक्तिगत अध्ययन योजनाएँ और वास्तविक समय प्रदर्शन विश्लेषण सक्षम हो सकते हैं
- कौशल अंतर विश्लेषण: यह प्रणाली कौशल अंतर विश्लेषण में सहायता करती है और अपस्किलिंग कार्यक्रमों के लिए उद्योग-प्रासंगिक सामग्री प्रदान करती है
- छात्र अकादमिक रिकॉर्ड को सुव्यवस्थित करना: छात्रों के लिए अकादमिक रिकॉर्ड रखने को सरल बनाना

7) एपीएएआर के माध्यम से मैप की गई सुविधाएं क्या हैं?

प्रवेश, छात्रवृत्ति, रियायतें, ऋण संचय, क्रेडिट मोचन, क्रेडिट अकाउंटिंग, क्रेडिट अकाउंटिंग, एक संस्थान से दूसरे संस्थान में क्रेडिट ट्रांसफर, इंटरनशिप, प्रमाणन, नौकरी आवेदन और अकादमिक रिकॉर्ड का सत्यापन।

8) एपीएएआर आजीवन सीखने का समर्थन कैसे करता है?

एपीएएआर एक छात्र की शैक्षणिक और कौशल उपलब्धियों के निरंतर रिकॉर्ड को बनाए रखकर आजीवन सीखने का समर्थन करता है, प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा के माध्यम से और उनके पेशेवर करियर में।



के. मा. शि. बो., एकीकृत कार्यालय परिसर, सेक्टर-23, फेज-1, द्वारका, नई दिल्ली-110077
CBSE Integrated Office Complex, Sector-23, Phase-1, Dwarka, New Delhi-110077

Phone (off.) : 011-24050336-42, Website: www.cbse.gov.in





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

9) एपीएआर स्कूलों को कैसे सशक्त बनाता है और बेहतर शैक्षणिक प्रबंधन में योगदान देता है?

एपीएआर संचालन को सुव्यवस्थित करके, प्रवेश जैसे कार्यों को सरल बनाकर और बेहतर शैक्षणिक प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण छात्र जानकारी को व्यवस्थित करके स्कूलों को सशक्त बनाता है। डिजिटल डेटा एनालिटिक्स के उपयोग के साथ, एपीएआर स्कूलों को व्यावहारिक रिपोर्ट तैयार करने, शिक्षण पद्धतियों को परिष्कृत करने और कागजी कार्रवाई के बिना भविष्य में संक्रमण करने में सक्षम बनाता है। यह परिवर्तनकारी दृष्टिकोण शिक्षकों को छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के अपने मुख्य मिशन पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है।

10) क्या छात्र एपीएआर के माध्यम से अपने शैक्षणिक रिकॉर्ड तक पहुंच सकते हैं?

हां, छात्र एपीएआर आईडी के माध्यम से अपने शैक्षणिक रिकॉर्ड तक पहुंच और प्रबंधन कर सकते हैं, जो ABC और डिजिलॉकर प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है।

11) एपीएआर अकादमिक क्रेडिट को कैसे संभालता है?

एपीएआर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (ABC) के साथ एकीकृत होता है, जिससे छात्रों को संस्थानों में क्रेडिट जमा करने, स्थानांतरित करने और भुनाने की अनुमति मिलती है। एबीसी प्रणाली क्रेडिट हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करती है और शैक्षणिक उपलब्धियों को ट्रैक करती है।

12) एपीएआर छात्र अनुभवों को कैसे बढ़ाता है और निर्बाध शैक्षिक यात्रा में योगदान देता है?

एपीएआर एक डिजिटल अकादमिक पासपोर्ट बनाकर, आसान सत्यापन के लिए शैक्षिक इतिहास और उपलब्धियों को समेकित करके छात्र के अनुभवों को बदल देता है। यह शैक्षणिक संस्थानों के बीच निर्बाध परिवर्तन सुनिश्चित करता है, निर्बाध शैक्षिक यात्रा को बढ़ावा देता है। अनुभवों को बढ़ाने पर ध्यान देने के साथ, एपीएआर छात्रों को सकारात्मक सीखने के माहौल में अपनी शैक्षणिक उपलब्धियों का स्वामित्व लेने का अधिकार देता है।

13) छात्र अपनी एपीएआर ID कैसे प्राप्त करते हैं?

छात्रों को इन चरणों का पालन करने की आवश्यकता है:

- सत्यापन: जनसांख्यिकीय विवरण सत्यापित करने के लिए स्कूल पर जाएँ।
- माता-पिता की सहमति: यदि छात्र नाबालिग है तो माता-पिता की सहमति प्राप्त करें।
- प्रमाणीकरण: स्कूल के माध्यम से पहचान प्रमाणित करें।
- आईडी निर्माण: सफल सत्यापन पर, एपीएआर आईडी बनाई जाती है और सुरक्षित ऑनलाइन पहुंच के लिए डिजिलॉकर में जोड़ा जाता है।



के. मा. शि. बो., एकीकृत कार्यालय परिसर, सेक्टर-23, फेज-1, द्वारका, नई दिल्ली-110077
CBSE Integrated Office Complex, Sector-23, Phase-1, Dwarka, New Delhi-110077

Phone (off.) : 011-24050336-42, Website: www.cbse.gov.in





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

14) एपीएआर ID जनरेट करने के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं?

एपीएआर ID जनरेट करने से पहले, निम्न पूर्वापेक्षाएँ विचार किया जाना चाहिए:

- यूडीआईएसई+ में छात्र रिकॉर्ड के अनुसार छात्र का नाम आधार के अनुसार छात्र के नाम से मेल खाना चाहिए।
- एपीएआर आईडी बनाने के लिए छात्र का पेन अनिवार्य है।

15) UDISE+ पोर्टल क्या है?

UDISE+ (यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस) पोर्टल एक व्यापक डेटाबेस है जिसका उपयोग पूरे भारत में छात्रों, शिक्षकों और स्कूलों से संबंधित जानकारी के प्रबंधन के लिए किया जाता है।

16) एपीएआर ID बनाने के लिए कौन सी जानकारी आवश्यक है? \

एपीएआर आईडी निर्माण के लिए निम्नलिखित छात्र विवरण अनिवार्य हैं:

- UDISE+ अद्वितीय छात्र पहचानकर्ता (PEN), छात्र का नाम, तिथि जन्म (जन्मतिथि), लिंग, मोबाइल नंबर, माता का नाम, पिता का नाम, आधार के अनुसार नाम, आधार संख्या

17) क्या होता है यदि एपीएआर आईडी जनरेशन विफल हो जाता है?

यदि एपीएआर आईडी जनरेशन विफल हो जाता है, तो एक त्रुटि संदेश प्रदर्शित किया जाएगा, जो आधार और अकादमिक रिकॉर्ड के बीच जनसांख्यिकीय डेटा बेमेल जैसे मुद्दों को दर्शाता है। उपयोगकर्ता को गलत डेटा को ठीक करना होगा और एपीएआर ID जनरेट करने के लिए अपना अनुरोध फिर से सबमिट करना होगा।

18) मैं एक छात्र के लिए एपीएआर आईडी जनरेशन की स्थिति की जांच कैसे कर सकता हूँ? एपीएआर आईडी जनरेशन की स्थिति को एपीएआर मॉड्यूल के तहत यूडीआईएसई+ पोर्टल में जांचा जा सकता है, जो छात्रों की सूची को उनकी एपीएआर आईडी स्थिति के साथ प्रदर्शित करता है। छात्र अपने स्कूल प्राधिकरण से अपने एपीएआर आईडी निर्माण की स्थिति की जांच करने का अनुरोध कर सकते हैं।

19) UDISE+ पोर्टल में छात्र डेटा की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए कौन जिम्मेदार है?

छात्र, उनके माता-पिता, स्कूल प्रशासन और कक्षा शिक्षक सभी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं कि पंजीकरण और प्रवेश के दौरान छात्र डेटा सटीक और अद्यतित है।

20) UDISE+ पोर्टल में छात्र डेटा को कितनी बार अपडेट किया जाना चाहिए? छात्र डेटा को नियमित रूप से अपडेट किया जाना चाहिए, खासकर उन मामलों में जहां छात्र के विवरण (जैसे, नाम, जन्मतिथि, लिंग और फोन नंबर) में परिवर्तन होते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि एपीएआर आईडी जनरेशन प्रक्रिया सबसे सटीक और वर्तमान जानकारी को दर्शाती है।



के. मा. शि. बो., एकीकृत कार्यालय परिसर, सेक्टर-23, फेज-1, द्वारका, नई दिल्ली-110077
CBSE Integrated Office Complex, Sector-23, Phase-1, Dwarka, New Delhi-110077

Phone (off.) : 011-24050336-42, Website: www.cbse.gov.in





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

21) संस्थान एपीएआर ID का उपयोग कैसे करते हैं?

संस्थान प्रवेश, क्रेडिट स्थानांतरण और भर्ती उद्देश्यों के लिए छात्रों के शैक्षणिक इतिहास तक पहुंचने और सत्यापित करने के लिए एपीएआर आईडी का उपयोग करते हैं। वे अकादमिक रिकॉर्ड को प्रबंधित करने और अद्यतन करने में भी मदद करते हैं।

22) एपीएआर कार्यान्वयन प्रक्रिया में स्कूल क्या भूमिका निभाते हैं?

स्कूल छात्रों को एपीएआर आईडी प्रदान करने, उनके विवरण सत्यापित करने और छात्रों के जनसांख्यिकीय और शैक्षणिक रिकॉर्ड को UDISE+ सिस्टम में अपडेट करने के लिए जिम्मेदार हैं। वे एपीएआर के प्रारंभिक निर्माण और प्रमाणीकरण को भी संभालते हैं।

23) एपीएआर और एबीसी की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?

- एपीएआर वेबसाइट - <https://एपीएआर.education.gov.in/>
- एबीसी वेबसाइट - <https://www.abc.gov.in/>



के. मा. शि. बो., एकीकृत कार्यालय परिसर, सेक्टर-23, फेज-1, द्वारका, नई दिल्ली-110077
CBSE Integrated Office Complex, Sector-23, Phase-1, Dwarka, New Delhi-110077

Phone (off.) : 011-24050336-42, Website: www.cbse.gov.in

